



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आबकारी अधिनियम में 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-173/2020 ,मु0अ0स0-170/2020 व मु0अ0स0-171/2020 धारा- 272 भा0द0सं0 व 60(2) आबकारी अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजेश उर्फ मलखान पुत्र लक्ष्मण निवासी कबूतरा डेरा कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर व 02 अभियुक्ता निवासिनी थाना मुस्करा को धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000-5000 / . रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी
श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक-
उ0नि0 दिलीप सिंह



पैरोकार
थाना- मुस्करा
हे0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार